SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
April – June 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-2

# राम राज्य और आधुनिक कल्याणकारी राज्य : एक तुलनात्मक विधिक विश्लेषण

**माधव शरण पाठक**
**सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग**
**श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)**

**सारांश**

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में रामचरितमानस और वाल्मिकी रामायण में वर्णित "राम राज्य" आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। राम राज्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि न्याय, समानता, लोककल्याण, नैतिक प्रशासन और उत्तरदायी शासन का आदर्श मॉडल भी है। दूसरी ओर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में "कल्याणकारी राज्य" की अवधारणा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, आर्थिक समानता तथा राज्य के लोकहितकारी दायित्वों पर आधारित है। यह शोध पत्र राम राज्य और आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं का तुलनात्मक विधिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें शासन, न्याय, मौलिक अधिकार, नैतिकता, लोककल्याण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर दोनों व्यवस्थाओं की समानताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं राम राज्य की लोककल्याणकारी भावना से प्रेरित प्रतीत होती है।

**मुख्य शब्द**

राम राज्य, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, विधिक विश्लेषण।

## प्रस्तावना

भारतीय समाज में "राम राज्य" आदर्श शासन की सर्वोच्च अवधारणा मानी जाती है। राम के शासन को न्यायपूर्ण, नैतिक तथा लोकहितकारी शासन के रूप में चित्रित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करते हुए लिखा है–

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
April – June 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-2

**"दैहिक दैविक भौतिक तापा।**

**राम राज नहिं काहु हि ब्यापा॥"**

अर्थात राम राज्य में किसी व्यक्ति को शारीरिक, दैविक अथवा भौतिक कष्ट नहीं था। यह आदर्श सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का द्योतक है। आधुनिक युग में राज्य की अवधारणा केवल कानूनव्यवस्था तक सीमित नहीं रही-, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व माना गया है। इसी अवधारणा को "कल्याणकारी राज्य" कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व भी एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अतः राम राज्य एवं आधुनिक कल्याणकारी राज्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है।

**शोध के उद्देश्य**

1. राम राज्य की अवधारणा का विधिक एवं दार्शनिक विश्लेषण करना।
2. आधुनिक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. दोनों व्यवस्थाओं की समानताओं एवं भिन्नताओं का तुलनात्मक परीक्षण करना।
4. भारतीय संविधान में राम राज्य की अवधारणा के प्रभाव का अध्ययन करना।

**शोध पद्धति**

यह शोध मुख्यतः सैद्धांतिक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु प्राचीन ग्रंथों, संविधान, विधिक पुस्तकों, शोध लेखों तथा न्यायिक निर्णयों का उपयोग किया गया है।

**राम राज्य की अवधारणा**

राम राज्य भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक है। इसमें राजा का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना होता है। राम राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. राम राज्य में शासन का उद्देश्य प्रजा का सुख एवं कल्याण था। शासन व्यवस्था जनहित पर आधारित थी।
2. राम राज्य में न्याय सभी के लिए समान था। राजा स्वयं कानून और नैतिकता का पालन करता था।
3. राम राज्य की नींव नैतिक मूल्यों और धर्म पर आधारित थी। यहाँ "धर्म" का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि कर्तव्य एवं न्याय है।
4. राम राज्य में समाज के सभी वर्गों को सम्मान प्राप्त था। कोई भी व्यक्ति शोषण का शिकार नहीं था।
5. राजा राम स्वयं को जनता का सेवक मानते थे। शासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व था।

**आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा**

कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण हेतु सक्रिय भूमिका निभाता है।

**1. सामाजिक न्याय:-** सभी नागरिकों को समान अवसर एवं सुरक्षा प्रदान करना।

**2. आर्थिक समानता:-** गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता को कम करना।

**3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य:-** राज्य द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

**4. मानवाधिकार संरक्षण:-** मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

**5. लोकतांत्रिक शासन:-** जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन।

**राम राज्य एवं कल्याणकारी राज्य तुलनात्मक अध्ययन :**

| **क्र.** | **आधार** | **राम राज्य** | **आधुनिक कल्याणकारी राज्य** |
|---|---|---|---|
| 1 | शासन का उद्देश्य | लोककल्याण एवं धर्म | सामाजिक एवं आर्थिक न्याय |
| 2 | शासन प्रणाली | राजतंत्र | लोकतंत्र |
| 3 | न्याय व्यवस्था | नैतिक एवं धार्मिक आधार | संवैधानिक एवं विधिक आधार |
| 4 | नागरिक अधिकार | कर्तव्यों पर बल | अधिकारों एवं स्वतंत्रता पर बल |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | प्रशासन | नैतिक नेतृत्व | संस्थागत प्रशासन |
| 6 | सामाजिक दृष्टिकोण | समरसता एवं नैतिकता | समानता एवं मानवाधिकार |

**भारतीय संविधान एवं राम राज्य**

भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से "राम राज्य" शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु इसकी मूल भावना संविधान में परिलक्षित होती है।

1. भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित नीति निदेशक तत्व लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
2. संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है।
3. अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है।
4. अनुच्छेद 38 एवं 46 समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु राज्य को निर्देशित करते हैं।

**न्यायिक दृष्टिकोण**

भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने विभिन्न निर्णयों में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को भारतीय संविधान की मूल भावना का महत्वपूर्ण अंग माना है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना भी है। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित करने की कल्पना की थी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसी कारण न्यायालय ने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) की व्याख्या व्यापक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण से की है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" पर आधारित राष्ट्र घोषित करती है। न्यायालय ने अनेक मामलों में कहा है कि संविधान का

वास्तविक उद्देश्य केवल शासन प्रणाली चलाना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका ने Welfare State की अवधारणा को संवैधानिक दर्शन का अभिन्न हिस्सा माना है।

न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" की व्यापक व्याख्या करते हुए उसे केवल जीवित रहने का अधिकार न मानकर सम्मानपूर्ण जीवन (Right to Live with Dignity) का अधिकार माना है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय और आजीविका को भी शामिल किया गया है।

**केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)**

केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। इस निर्णय ने संविधान में निहित कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूत आधार प्रदान किया।

**मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)**

मिनर्वा मिल्स Case में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। यह निर्णय Welfare State की अवधारणा को संवैधानिक संतुलन के रूप में प्रस्तुत करता है।

**ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)**

ओल्गा टेलिस मामला में न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आजीविका

छीन ली जाए, तो उसका जीवन भी प्रभावित होगा। यह निर्णय कल्याणकारी राज्य की उस अवधारणा को मजबूत करता है जिसमें राज्य का दायित्व नागरिकों की मूल आवश्यकताओं की रक्षा करना है।

**उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)**

उन्नीकृष्णन मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि शिक्षा एक कल्याणकारी राज्य की मूल जिम्मेदारी है। बाद में इसी विचार के आधार पर शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में विकसित हुआ।

न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक अधिकार, बंदी अधिकार, महिला अधिकार तथा बाल संरक्षण जैसे विषयों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई है। न्यायालय ने अनेक बार यह कहा है कि राज्य का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना भी है। यह दृष्टिकोण राम राज्य की उस अवधारणा से साम्य रखता है जिसमें शासक जनता के सुख-दुःख के प्रति उत्तरदायी माना गया है। रामचरितमानस में वर्णित रामराज्य की कल्पना में भी शासक का मुख्य उद्देश्य लोककल्याण और न्याय की स्थापना था—

**"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।**
**सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥"**

यह चौपाई स्पष्ट करती है कि यदि प्रजा दुखी है, तो शासक अपने कर्तव्य में असफल माना जाएगा। आधुनिक न्यायपालिका भी इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए राज्य को जनहितकारी और उत्तरदायी संस्था के रूप में देखती है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को केवल सैद्धांतिक न रखकर उसे व्यवहारिक और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। न्यायालय के निर्णय यह दर्शाते हैं कि सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, समान अवसर और लोककल्याण भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के मूल तत्व हैं। यही कारण है कि आधुनिक Welfare State और रामराज्य की लोक कल्याणकारी भावना के बीच गहरा वैचारिक साम्य दिखाई देता है।

राम राज्य की अवधारणा नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार पर निर्मित है, जबकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य विधिक एवं संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक राज्य में मौलिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जबकि राम राज्य में कर्तव्य एवं नैतिकता को प्राथमिकता प्राप्त थी। फिर भी दोनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य जनकल्याण एवं न्याय की स्थापना है। आधुनिक शासन व्यवस्था में यदि नैतिकता एवं उत्तरदायित्व को समाहित किया जाए, तो राम राज्य की अवधारणा अधिक प्रासंगिक हो सकती है।

**निष्कर्ष**

राम राज्य एवं आधुनिक कल्याणकारी राज्य दोनों ही जनकल्याण पर आधारित शासन प्रणालियाँ हैं। राम राज्य नैतिकता, न्याय एवं लोकहित का आदर्श प्रस्तुत करता है, जबकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों पर आधारित है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व, सामाजिक न्याय एवं समानता की अवधारणाएँ राम राज्य की भावना से साम्य रखती हैं। वर्तमान समय में सुशासन, पारदर्शिता, नैतिक प्रशासन एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु राम राज्य की अवधारणा प्रेरणास्रोत सिद्ध हो सकती है।

**सुझाव एवं अनुशंसाएँ**

1. आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। शासन में ईमानदारी, उत्तरदायित्व, सेवा भावना और नैतिकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसा कि राम राज्य में दिखाई देता है।
2. वर्तमान समय में नागरिक अधिकारों की चर्चा अधिक होती है, लेकिन कर्तव्यों की उपेक्षा होती है। शैक्षिक संस्थानों और विधिक शिक्षा में मौलिक कर्तव्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
3. राज्य के नीति निदेशक तत्वों को केवल सैद्धांतिक न रखकर व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
4. राम राज्य की भावना के अनुरूप गरीबों, महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों तथा वंचित वर्गों के कल्याण हेतु अधिक प्रभावी योजनाएँ और कानूनी संरक्षण विकसित किए जाने चाहिए।

5. राम राज्य की न्याय व्यवस्था त्वरित एवं निष्पक्ष मानी जाती है। आधुनिक न्यायपालिका में लंबित मामलों की समस्या को कम करने हेतु वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR), लोक अदालत तथा डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
6. विधि शिक्षा में भारतीय नैतिक परंपराओं, रामायण, महाभारत तथा अन्य सांस्कृतिक ग्रंथों में निहित न्याय एवं कर्तव्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए।
7. ईगवर्नेंस-, सूचना का अधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि शासन व्यवस्था जनहितकारी बन सके।
8. राम राज्य को धार्मिक अवधारणा तक सीमित न रखकर उसे नैतिक शासन, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और लोककल्याण के आधुनिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर समझा जाना चाहिए।

राम राज्य और आधुनिक कल्याणकारी राज्य दोनों का अंतिम उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समतामूलक समाज की स्थापना है। यदि आधुनिक संवैधानिक ढाँचे में राम राज्य के नैतिक आदर्शों – जैसे सत्य, कर्तव्य, लोककल्याण, न्याय और उत्तरदायित्व – को समाहित किया जाए, तो सुशासन एवं सामाजिक समरसता को अधिक प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है।

**संदर्भ सूची**

1. Ramcharitmanas - गोस्वामी तुलसीदास
2. Valmiki Ramayana - महर्षि वाल्मीकि
3. Constitution of India
4. M.P. Jain - *Indian Constitutional Law*
5. V.N. Shukla - *Constitution of India*
6. Upendra Baxi - *The Indian Supreme Court and Politics*
7. Granville Austin - *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*
8. P. Ishwara Bhat - *Law and Social Transformation*